4119 dtd 5072
16/8/13 21/9/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या–114/2013–14

बिल्टु राउत बनाम मसोमात मालती देवी वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद में बिल्टु राउत पिता– स्व0 युगे राउत, ग्राम– सहसपुर पोस्ट– योगियारा, थाना वो प्रखण्ड– जाले, जिला– दरभंगा आवेदक तथा (1) मोसोमात मालती देवी जौजे– स्व0 शिवजी राउत (2) रामजी राउत पिता– स्व0 बुधन राउत ग्राम– सहसपुर पोस्ट– योगियारा, थाना वो प्रखण्ड– जाले, जिला– दरभंगा विपक्षी सदस्य हैं। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मोजा – सहसपुर थाना जाले जिला दरभंगा में अवस्थित आवेदनानुसार निम्न ब्योरे की भूमि है।

विपक्षी सं0– 02 के पिता के नाम दर्ज खतियान

खाता	खेसरा	रकवा
416	2743	12 डिसमील

आवेदक बिल्टु राउत के नाम से दर्ज खतियान

खाता	खेसरा	रकवा
401	2742	04 डिसमील

जिसके अनुसार आवेदक ने 08 डिसमील जमीन पर अपना हकियत वो दखल– कब्जा बताया है, जबकि विपक्षीयों के नाम से 12 डिसमील मकान मय सहन (विपक्षी सं0– 02 के पिता) के नाम से खतियान दर्ज है और 04 डि0 मकान मय सहन आवेदक के नाम से दर्ज है जो कम होना बताया गया है :–

आवेदक के आवेदनानुसार आवेदक को आधा 08 डि0 जमीन पर हकियत है लेकिन विपक्षगण हाल सर्वे के बुनियाद पर 04 डि0 यानि 18 धुर भूमि का गलत इन्द्राज खतियान में होने से नफा उठाकर आवेदक को बेदखल कर दिया है।

आवेदक ने प्रस्तुत वाद दिनांक 09.05.2013 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से शपथ पत्र एवं निर्धारित न्याय शुल्क का मुद्रांक एक सौ रूपये मे साथ दाखिल किया जिसपर विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद को प्रतिग्रहित किया गया तथा विपक्षीयों को निबंधित सूचना निर्गत की गई, विपक्षगण ने कार्रवाई में भाग लेकर अपनी ओर से लिखित बयान दिया है जिसपर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गयी है।

24/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख पर उपलब्ध उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे का अनुशीलन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

विदित होता है कि उभय पक्ष आपस में खास पट्टीदार हैं तथा उभय पक्षों के आदि पुरूष भारत राउत थे जो अपने दो पुत्र (1) राम खेलावन राउत (2) युगे राउत को छोड़कर मर गये। राम खेलावन राउत भी अपने एक पुत्र बुधन राउत को छोड़ कर मर गये वो बुधन राउत भी अपने दो पुत्रों (1) शिवजी राउत (2) रामजी राउत को छोड़कर मर गये। शिवजी राउत अपनी पत्नी मोसोमात मालती देवी को (विपक्षी सं0–01) छोड़कर मर गये। बुधन राउत के पुत्र रामजी राउत इस वाद में विपक्षी सं0– 02 हैं। युगे राउत के पुत्र बिल्टु राउत इस वाद में आवेदक हैं।

कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 25.06.1943 को रामखेलावन राउत वो युगे राउत दोनों सगे भाईयों ने गोखुलानन्द मिश्र से मौजा– सहसपुर में अद्योलिखित ब्योरे की भूमि बयनामा द्वारा हासिल किया।

खाता	खेसरा	रकवा
		बी0–क0–धु0
44	1834	00–00–09 धुर
	1837	00–01–12 धुर
244	1836	00–00–09 धुर
	1839	00–00–05 धुर
73	1840	00–00–14 धुर
कुल रकवा		00–03–09 धुर

बेलगान घरारी

73	1838	00–01–03 धुर
	1835	00–00–14 धुर
कुल रकवा		00–01–17 धुर

कुल योग – 00–05–06 धुर

आवेदक का कहना है कि वर्ष 1960 में राम खेलावन राउत एवं युगे राउत के बीच कुल चल एवं अचल सम्पति का आपसी बाखुदहा बँटवारा हो गया और दोनों भाई अपने अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार हो गये और अपना अपना आवासीय मकान बनाए तथा बाँट में मिली जमीन पर दखल कब्जा में आधी–आधी हिस्सेदार रहते आए।

आवेदक का कहना है कि हाल सर्वे के दौरान उभय पक्षों के धारीत भूमि का देखभाल रामजी राउत पिता– बुधन राउत हीं करते थे जिन्होनें अपने पिता के नाम से नया खेसरा 2743 अन्दर खाता

24/09/13

...देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	416 रकवा 12 डि0 का खतियान बुधन राउत के नाम से खोलवा लिया है जिसकी जानकारी सर्वे कार्यवाही के समय आवेदक को नहीं हो सकी जिस कारण सर्वे के समय सुधार नहीं हो सका। आवेदक का दावा है कि रिविजनल सर्वे खतियान के खाता नं0– 416, खेसरा नं0– 2743 रकवा 12 डि0 विपक्षी रामजी राउत के पिता– बुधन राउत के नाम गलत मुन्दर्ज हुआ है, जबकि वंशावली के अनुसार खतियान मुन्दर्ज होना चाहिए। आवेदक का यह कहना है कि इन्हें रीविजनल खतियान खाता नं0– 401, खेसरा नं0– 2742, रकवा 04 डि0 मकान मय सहन अन्दर खतियान सर्वे दर्ज है जो इनके हिस्से की जमीन से कम है। इनका कहना है कि नया खेसरा नं0 2742 पुराना खेसरा नं0– 1840 एवं 1839 से बना है जिसमें इन्हें मात्र 04 डि0 रीविजनल खतियान में दर्ज है।, जबकि नया खेसरा नं0– 2743 पुराना खेसरा नं0– 1835, 1836 वो 1837 रकवा– 12 डि0 गलत विपक्षी के नाम अन्दर हाल सर्वे खतियान मुन्दर्ज हो गया है। जिसका नाजायज लाभ उठाकर विपक्षीगण इन्हें जबरदस्ती बेदखल करने पर उतारू हैं एवं बेदखल कर दिये हैं। आवेदक ने रीविजनल सर्वे में से 04 डि0 मकान मय सहन रकवा– 18 धुर दिलाने का अनुरोध के साथ उल्लेख किया है कि बुधन राउत के नाम से खतियान अन्दर सर्वे खाता नं0– 416, खेसरा नं0– 2743 रकवा– 12 डि0 में से 04 डि0 पाने के हकदार आवेदक हैं क्योंकि इन्हें खाता नं0– 410, खेसरा नं0– 2742, रकवा– 04 डि0 मकान मय सहन मुन्दर्ज है जो इनके हिस्से से कम है। विपक्षीयों की ओर से प्रस्तुत लिखित बयान एवं कागजातों से विदित होता है कि आवेदक ने भूमि बन्दोवस्त पदाधिकारी के न्यायालय में धारा 106 बी0 टी0 एक्ट के तहत वाद सं0– 868/05 दायर किया है जो माननीय के न्यायालय में विचारण अन्तर्गत लंबित है। इसी बीच सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सह निदेशक, भू अभिलेख परिमाप, बिहार पटना द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 2059 दि0 26.12.12 एवं पत्रांक– 867 दिनांक 08.05.2013 द्वारा समाहर्त्ता सह बन्दोवस्त पदाधिकारी दरभंगा को सम्प्रेषित पत्र दरभंगा बन्दोवस्त अन्तर्गत संचालित सभी न्यायालयों को तत्कालिक प्रभाव से बन्द कर देने के संबंध में है के आलोक में पत्रांक– 1261 दिनांक 22.07.2013 द्वारा बन्दोवस्त के विभिन्न स्तरीय सभी न्यायालयों को बन्द कर दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद अन्तर्गत आवेदक के दावे पर विचारण समीचीन नहीं होगा। विपक्षी ने राजस्व एवं भूमि सुंधार विभाग के अधिसूचना के आलोक में कार्रवाई dropp करने का अनुरोध के साथ उल्लेख किया है कि आवेदक के दावे में स्वत्व न्याय निर्णीत करने का जटिल प्रश्न निहित है, अतएव कार्रवाई बन्द कर उन्हें सिविल कोर्ट जाने का निदेश दिया जाय।	24/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अतः अभिलेख पर उपलब्ध तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 (5) के तहत यह कार्यवाही बन्द की जाती है तथा आवेदक को निदेशित किया जाता है कि अपने दावे के उपचार के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना करने हेतु स्वतंत्र है। अभिलेख संचिकास्त करें। **लेखापित एव शुद्धित** 25/09/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 25/09/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	